



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1948 (श10)

(सं० पटना 746) पटना, बुधवार, 8 जुलाई 2026

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

24 जून 2026

सं० भवन/स्था-04/विविध-30/2013-5884(भ)—भारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल विभिन्न कार्य विभागों (यथा जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग आदि) के सामान्य लिपिकीय संवर्ग के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया एवं उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।—

- यह नियमावली “कार्य विभाग क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2026” कही जा सकेगी।
- इसका विस्तार बिहार सरकार के सभी कार्य विभागों (यथा जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग आदि) में होगा।
- यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ ।— इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो—

- “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार;
- “विभाग” से अभिप्रेत है, बिहार कार्यपालिका नियमावली में यथानिर्धारित कार्य विभाग (यथा जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग आदि);
- “संवर्ग” से अभिप्रेत है, क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग;
- “आयोग” से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
- “नियत तिथि” से अभिप्रेत है, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि;

- (vi) “संवर्ग नियंत्रि प्राधिकार” से अभिप्रेत है, संबंधित कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव;
- (vii) “नियुक्ति प्राधिकार” से अभिप्रेत है, विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता;
- (viii) “सदस्य” से अभिप्रेत है, संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति जिसमें नियत तिथि के पूर्व से संवर्ग में नियुक्त सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं;
- (ix) “अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति” से अभिप्रेत है, सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति;
- (x) “विभागीय प्रोन्नति समिति” से अभिप्रेत है, इस संवर्ग के प्रोन्नति के पदों पर प्रोन्नति की अनुशंसा करने हेतु विभाग द्वारा गठित समिति।

3. संवर्ग की संरचना।—

- (i) क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी—

क्र० सं०	पद का नाम	पद की प्रास्थिति
1.	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि
2.	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
3.	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर
4.	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर

- (ii) यह संबंधित कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन एक राज्य स्तरीय अराजपत्रित संवर्ग होगा।
- (iii) इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/स्वीकृत किया जायेगा।
- (iv) इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों को वही वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य होगा जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
- (v) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में सम्मिलित समझे जायेंगे।
- (vi) विभागों में लिपिक संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक एवं उच्चवर्गीय लिपिक से भिन्न पदनाम के उपलब्ध पद यथा भंडार लिपिक, पत्राचार लिपिक आदि वेतन की समकक्षता के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक अथवा उच्चवर्गीय लिपिक के पद समझे जायेंगे। ऐसे पदों के विरुद्ध नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति भी तदनुसार निम्नवर्गीय लिपिक अथवा उच्चवर्गीय लिपिक के पदधारक माने जायेंगे तथा निम्नवर्गीय लिपिक अथवा उच्चवर्गीय लिपिक के संवर्ग में उनकी वरीयता का निर्धारण लिपिक संवर्ग में उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि के आधार पर किया जायेगा।

4. सीधी भर्ती।—

- (i) इस संवर्ग के मूल कोटि अर्थात् निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर ही सीधी भर्ती की जा सकेगी।
- (ii) निम्नवर्गीय लिपिक के 85 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा की अनुशंसा के आधार पर भरा जायेगा।
- (iii) शेष 15 प्रतिशत पदों को कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के वैसे कर्मियों से, वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा, जो निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखते हो तथा जिन्हें कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान हो।
- (iv) ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों की, सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।
- (v) प्रत्येक कार्य विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रिल की स्थिति के आधार पर विभाग स्तर पर निम्नवर्गीय लिपिक के पदों की रिक्तियों की गणना कर आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को उपलब्ध करायी जाएगी।
- (vi) आयोग द्वारा अधियाचना के आलोक में विज्ञापन प्रकाशन किया जायेगा तथा आरक्षण कोटिवार अनुशंसा संबंधित कार्य विभाग को सीधे उपलब्ध करायी जायेगी। संवर्ग नियंत्रि

प्राधिकार द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आधार पर उन्हें मुख्य अभियंता कार्यालय आवंटित किया जाएगा।

- (vii) संबंधित नियुक्ति प्राधिकार (मुख्य अभियंता) द्वारा समुचित जाँचोपरान्त नियुक्ति आदेश निर्गत किया जाएगा तथा उन्हें अपने नियंत्रणाधीन पदस्थापित किया जाएगा।

5. सीधी भर्ती हेतु अर्हता।—

- (i) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इन्टरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना तथा कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
- (ii) सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र वही होगी जैसा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।

6. प्रोन्नति द्वारा भर्ती।—

- (i) नियुक्ति प्राधिकार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) की वरीयता सूची से निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की शैक्षणिक अर्हता रखने वाले कर्मियों की निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति पर विचार करेगा।
- (ii) निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता अनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जायेगी।

7. आरक्षण।— इस संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्ति तथा प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित आरक्षण रोस्टर से संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

8. परीक्ष्यमान अवधि।— सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी नियुक्ति के उपरान्त एक वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में यथा निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

यदि परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं पायी जाय तो अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, परिवीक्षा अवधि, एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं पायी जाय, तो उसे सेवामुक्त किया जा सकेगा, जिसके लिए किसी प्रकार के प्रतिकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

9. कम्प्यूटर सक्षमता, हिन्दी-टिप्पण प्रारूपण तथा विभागीय परीक्षा।—

- (i) सीधी भर्ती/प्रोन्नति से भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मी को यथानिर्धारित कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा, मंत्रिमंडल (राजभाषा) विभाग द्वारा यथा निर्धारित हिन्दी-टिप्पण प्रारूपण परीक्षा तथा राजस्व पर्षद् द्वारा यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।
- (ii) विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण तथा परीक्षा का आयोजन केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद्, बिहार द्वारा किया जायेगा।

10. सेवा सम्पुष्टि।— सीधी भर्ती/प्रोन्नति से भर्ती द्वारा नियुक्त किसी कर्मी की सेवा परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा निर्धारित विभागीय परीक्षा एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने पर सम्पुष्टि की जायेगी।

11. वरीयता।—

- (i) इस संवर्ग के कर्मियों की वरीयता सूची का संधारण राज्य स्तर पर संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।
- (ii) सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता आयोग की अनुशंसा के मेधाक्रमानुसार निर्धारित होगी। प्रोन्नति द्वारा भर्ती से नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता उनके नियुक्ति आदेश के क्रमानुसार होगी। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मी की वरीयता उसके योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी।
- (iii) किसी वर्ष में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी प्रोन्नति द्वारा भर्ती से नियुक्त कर्मी से कनीय होंगे। किसी वर्ष में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मी सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी से कनीय होंगे।
- (iv) इस संवर्ग के प्रोन्नति के पदों पर आपसी वरीयता का निर्धारण प्रोन्नति आदेश के क्रमानुसार होगा।
- (v) नियत तिथि के पूर्व से नियुक्त कर्मियों की संयुक्त वरीयता संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा राज्य स्तर पर समेकित रूप से पुनर्निर्धारित की जाएगी।

12. प्रोन्नति।—

- (i) इस संवर्ग के उच्चतर कोटि के पदों पर प्रोन्नति, संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा, वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा से दी जायेगी।
- (ii) प्रोन्नति हेतु आरक्षण, कालावधि आदि से संबंधित समय-समय पर निर्गत प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।
- (iii) प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन संबंधित विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जायेगा।

13. **संवर्ग का स्तर।**—संवर्ग नियंत्री प्राधिकार अथवा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इस संवर्ग के कर्मियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन क्रमशः सम्पूर्ण राज्य में तथा अपनी अधिकारिता के अधीन किया जा सकेगा। स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए अर्हता/प्रक्रिया का निर्धारण संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा।

14. **अवशिष्ट मामले।**—

- (i) राज्य सरकार के अन्य कर्मियों पर लागू सेवा शर्तें, अनुशासन, छुट्टी, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन आदि के संबंध में प्रवृत्त सभी नियम, अनुदेश आदि समान रूप से इस संवर्ग के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
- (ii) जिन विषयों या विन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में विशिष्ट रूप से नहीं किया गया है, उनके संबंध में राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए समय-समय पर निर्गत अनुदेश लागू होंगे।
- (iii) इस नियमावली के किसी भी नियम की व्याख्या करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग सक्षम विभाग होगा।
- (iv) यदि इस नियमावली के किसी नियम को लागू करने में कोई कठिनाई हो, तो संबंधित विभाग की अनुशंसा पर राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) ऐसी कठिनाई का निराकरण राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा कर सकेगा।

15. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**—

- (i) इस संवर्ग के संबंध में कार्य विभागों (यथा जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग आदि) द्वारा पूर्व में अधिसूचित सभी नियमावली/संकल्प/परिपत्र/आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित समझे जायेंगे।
- (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत नियमावली/संकल्प/परिपत्र/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रणव कुमार,
सरकार के सचिव।

Building Construction Department

NOTIFICATION

24th June 2026

No-Bhawan/Astha-04/vividh-30/2013-5884(भ)—In exercise of the powers conferred in the proviso of Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following Rules to regulate the process of recruitment to the posts of General Clerical Cadre in various **Works Departments (such as Water Resources Department, Minor Water Resources Department, Road Construction Department, Building Construction Department, Rural Works Department, Public Health Engineering Department, Planning and Development Department, Urban Development and Housing Department etc.)** and their service conditions-

1. **Short Title and Commencement.**—

- (i) These Rules may be called “The Works Department Regional General Clerical Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2026”.
- (ii) It shall extend to all the Works Departments of the Governemnt of Bihar (viz. Water Resources Department, Minor Water Resources Department, Road Construction Department, Building Construction Department, Rural Works Department, Public Health Engineering Department, Planning and Development Department, Urban Development and Housing Department etc).
- (iii) It shall come into force immediately on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions—*In these Rules, unless anything repugnant to the subject or context.—*

- (i) **“State Government”** means the State Government of Bihar;
- (ii) **“Department”** means the Works Department as specified in the Bihar Rules of Executive Business (namely, Water Resources Department, Minor Water Resources Department, Road Construction Department, Building Construction Department, Rural Works Department, Public Health Engineering Department, Planning and Development Department, Urban Development and Housing Department etc.);
- (iii) **“Cadre”** means the Regional General Clerical Cadre;
- (iv) **“Commission”** means the Bihar Staff Selection Commission;
- (v) **“Appointed Date”** means the date on which these rules come into force;
- (vi) **“Cadre Controlling Authority”** means the Additional Chief Seceretary/Principal Seceretary/Seceretary of the concerned Department;
- (vii) **“Appointing Authority”** means the concerned Chief Engineer of the Department;
- (viii) **“Member”** means a person appointed to the cadre including all persons appointed to the cadre prior to the appointed date;
- (ix) **“Appointment on Compassionate Grounds”** means appointment on compassionate grounds of one of the dependents of the Government servants who died in service, as per the relevant circulars/instructions;
- (x) **“Departmental Promotion Committee”** means the committee constituted by the Department to recommend promotions to the promotional post of the cadre;

3. Structure of the Cadre.—

- (i) The structure of the Regional General Clerical Cadre shall be as follows—

Sl. No.	Designation	Status of the Posts
1.	Lower Division Clerk	Basic Grade
2.	Upper Division Clerk	First Promotion Level
3.	Head Clerk	Second Promotion Level
4.	Assistant Administrative Officer	Third Promotion Level

- (ii) It shall be a State level non-gazetted cadre under the control of the concerned Works Department.
- (iii) The sanctioned strength of various categories of posts in this cadre shall be the same as determined/approved by the State Government from time to time.
- (iv) The pay scale/pay level for various categories of posts in this cadre shall be the same as approved by the State Government from time to time.
- (v) Persons regularly appointed and working on various categories of posts in this cadre before coming into force of these Rules shall be automatically deemed to be included in this cadre.
- (vi) In the Departments, the posts available in the clerical cadre with designations other than Lower Division Clerk and Upper Division Clerk, such as Store Clerk, Correspondence Clerk etc. shall be deemed to be Lower Division Clerk or Upper Division Clerk posts on the basis of equivalence of pay. Accordingly persons appointed and working against such posts shall also be deemed to be Lower Division Clerk or Upper Division Clerk and their seniority in the cadre of Lower Division Clerk or Upper Division Clerk shall be determined on the basis of the date of their first appointment in the clerical cadre.

4. Direct Recruitment.—

- (i) Direct recruitment may be made only in the basic category post of this cadre namely Lower Division Clerk.
- (ii) 85 per cent of the posts of Lower Division Clerks shall be filled by direct recruitment on the basis of the recommendations of competitive examination held for the purpose by the Commission.
- (iii) Remaining 15 per cent posts shall be filled by promotion on the basis of seniority-cum-merit from among the employees of Office Attendant/Attendant (Special) Cadre who possess the educational qualification prescribed for appointment to the post of Lower Division Clerk and who have knowledge of computer operation and computer typing.
- (iv) Dependents of such government servants who died during service, may be considered for appointment on compassionate grounds against the vacant posts available for direct recruitment, on fulfilling the required criteria, for which the recommendation of the Commission shall not be required.
- (v) Every Works Departments shall calculate the vacancies of the posts of Lower Division Clerks and the Department level on the basis of the situation as on 1st April of every year and shall provide reservation category wise requisition to the Commission.
- (vi) The Commission shall publish advertisement in the light of requisition and reservation category wise recommendation shall be made available directly to the concerned Works Department. On the basis of recommendation received by Cadre Controlling Authority they shall be allotted Chief Engineer Office.
- (vii) After proper investigation, the concerned appointing authority (Chief Engineer) shall issue appointment order and post them under his control.

5. Qualification for Direct Recruitment.—

- (i) Minimum educational qualification should be Intermediate (10+2) or equivalent examination pass and knowledge of computer operation and computer typing.
- (ii) The minimum age for direct recruitment shall be 18 years and the maximum age shall be the same as determined by the General Administration Department, Government of Bihar from time to time.

6. Recruitment by Promotion.—

- (i) The Appointing Authority shall consider promotion to the post of Lower Division Clerk from the seniority list of Office Attendant/Attendant (Special) who possesses the educational qualification for appointment to the post of Lower Division Clerk.
- (ii) Promotion to the post of Lower Division Clerk shall be given on the basis of seniority-cum-merit on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.

7. Reservation.—In appointment and promotion by direct recruitment in this cadre, the provisions relating to reservation roster as determined from time to time by General Administration Department, Government of Bihar, shall be applicable.

8. Probation Period.—Employees appointed through direct recruitment shall be on probation for one year after appointment. They shall have to complete the training as prescribed during the probation period..

If the service is not found satisfactory during the probation period, the probation period may be extended for another year for reasons to be recorded. If the service is not found satisfactory even during the extended period, he may be discharged from service, for which no claim of compensation of any kind shall be admissible.

9. Computer Competency, Hindi Noting-Drafting & Departmental Examination.—

- (i) The employee appointed by direct recruitment/promotion shall have to pass the Computer Competency Test as prescribed, Hindi Noting-Drafting Examination as prescribed by the Cabinet (Rajbhasha) Department & Departmental Examination as prescribed by the Revenue Board.
- (ii) The subjects, syllabus and procedure of the Departmental Examination shall be determined and the examination shall be organised by the Central Examination Committee, Revenue Board, Bihar.

10. Service Confirmation.—The service of any employee appointed through direct recruitment/promotion shall be confirmed on satisfactory completion of probation period and on passing the prescribed departmental examination and computer competency test.

11. Seniority.—

- (i) The seniority list of the employees of this cadre shall be maintained by the Cadre Controlling Authority at the State Level.
- (ii) The seniority of employees appointed through direct recruitment shall be determined in the merit order of the Commission's recommendation. The inter se seniority of employees appointed through promotion shall be in the order of their appointment order. The seniority of an employee appointed on compassionate grounds shall be determined on the basis of his date of Joining.
- (iii) Personnel appointed through direct recruitment in any year shall be junior to those appointed through promotion. Personnel appointed on compassionate grounds in any year shall be junior to those appointed through direct recruitment.
- (iv) The inter se seniority for the promotional posts in this cadre shall be determined as per the order of promotion.
- (v) The combined seniority of personnel appointed before the appointed date shall be re-determined in a consolidated manner at the State level by the Cadre Controlling Authority.

12. Promotion.—

- (i) Promotion to the higher category of posts in this cadre shall be given by the Cadre Controlling Authority on the basis of seniority-cum-merit on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.
- (ii) The provisions issued from time to time regarding reservation, time period etc. for promotion shall be followed.
- (iii) The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the concerned Department by a separate order for promotions.

13. Level of Cadre.—The Cadre Controlling Authority or the Appointing Authority may transfer/post the employees of this cadre in the entire state or under its jurisdiction respectively. The eligibility/process for transfer/posting may be determined by the Cadre Controlling Authority.

14. Residual Matters.—

- (i) All rules, instructions etc. in force regarding Service Conditions, Discipline, Leave, ACP as applicable to other employees of the State Government shall equally apply to the members of this cadre also.
- (ii) In respect of matters or points which have not been specifically provided in these Rules, the instructions issued from time to time for equivalent level officials of the State Government shall be applicable.
- (iii) The General Administration Department shall be the competent Department to interpret any of the rules of these Rules.
- (iv) If there is any difficulty in implementing any rule of these Rules, the State Government (General Administration Department) may, on the recommendation of the concerned Department, remove such difficulty by notification published in the Official Gazette.

15. Repeal and Savings.—

- (i) All Rules/Resolutions/Circulars/Orders etc. notified earlier by the Works Departments (viz, Water Resources Department, Minor Water Resources Department, Road Construction Department, Building Construction Department, Public Health Engineering Department, Planning and Development Department, Urban Development and Housing Department etc.) in respect of this cadre shall hereby be deemed to be repealed.
- (ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of powers conferred under Rules/ Resolutions/ Circulars/ Orders etc. issued earlier shall be deemed to have been done in exercise of the powers conferred by or under these rules as if these Rules were in force on the date on which any such thing was done or any such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
PRANAV KUMAR,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 746-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>